राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

कमांकः–प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट जयपुर, दिनांकः 11 MAY 2020

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत प्राधिकरण/न्यास द्वारा आवंटित/नीलामी में विक्रय किये भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में निर्माण नहीं होने पर आवंटन निरस्त होने का प्रावधान है। विभागीय आदेश क्रमांक प. 3(1201)निवि/3/2012 पार्ट, जयपुर दिनांक 17.06.2019 द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि लेकर अपने स्तर पर आवंटन को नियमन करने की कार्यवाही दिनांक 31.12.2019 तक करने हेतु विकास प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया गया था। यह अवधि समाप्त हो चुकी है।

कोविड–19 के मध्यनजर राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 के अंतर्गत छूट प्रदान करते हुए राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार पुनर्ग्रहण राशि की गणना दिनांक 31.12.2019 तक कर निर्माण अवधि दिनांक 31.12.2020 तक बढाये जाने हेतु विकास प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया जाता है। साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति के अंतर्गत अनुज्ञा की दिनांक भी स्वतः ही दिनांक 31.12.2020 तक बढी हुई माने जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner